

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु. 17140
विज्ञप्ति

जयपुर, दिनांक:- 20/8/18

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न रिट पीटिशन में दिये गये निर्णयों की अनुपालना में निम्नलिखित अधिसूचित मार्गों पर अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों का मोटर वाहन अधिनियम की धारा 80 (2)/80 (3) के तहत निस्तारण किया जाना है, अतः अन्य पात्र वाहन स्वामियों से भी इस विज्ञप्ति के जारी करने की तिथि से दिनांक 31-08-20/8 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम संख्या	रिट पीटिशन संख्या	एकल मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	वाहनों की संख्या	एकल फेरों की संख्या
1	10654/19.7.18	89	RAJGARH-SAHWA	2	1
2	15232/23.7.18	23	DEOLI-KOTA	3	18
3	15495/25.7.18	340	KARANPUR-PADAMPUR	8	56
4	15507/25.7.18 14753/17.7.18	21	JAIPUR-KOTA	45	172
5	14436/12.7.18	401	SHRIGANGANAGAR-KARANPUR	10	49
6	12406/13.7.18	210	JAIPUR-BIKANER	1	1
7	14754/17.7.18	6	ALWAR-JAIPUR	5	21
		372	ALWAR-TIJARA-BHIWANDI	5	15
8	14751/17.7.18	343	CC HEAD-LAKHUWALI	1	3
9	14752/17.7.18	204	BIDASAR-SUJANGARH	6	68
10	11306/30.5.18	235	SHAHUPURA-BEHROD	8	40
		417	BEHROD-MANDAN	1	5
11	9514/30.7.18 17194/07.08.18	373	JAIPUR-ALWAR VIA DAUSA	16	32
12	9514/30.7.18	420	ALWAR-MAHAVEERJI	4	8
13	17194/07.08.18	221	Alwar-Govindgarh	4	20
14	17288/07.08.18	428	Udaipur-Badisadri	7	28

आवेदन संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष, कार्यालय समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने संबंधित एवं अन्य सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू होंगी। शर्तों का अवलोकन विभागीय वेब साईट transport.rajasthan.gov.in पर RPTS Tab किया जा सकता है।

(आर.सी. यादव)

सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु. 17141-44

जयपुर, दिनांक:- 20/8/18

प्रतिलिपि :-

1. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने बाबत।
2. सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अलवर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर, उदयपुर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने बाबत।
3. मुख्यालय नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।

(आर.सी. यादव)

सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार